पंचदश माला, खंड 7, अंक 1

सोमवार, 22 फरवरी, 2010
3 फाल्गुन, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

पी.एल.एस.–48/7/1/2010 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2010/1931 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii)—(x)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xi)
मंत्रिपरिषद	(xiii)—(xvi)
राष्ट्रगान	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1–16
निधन संबंधी उल्लेख	16–22
सभा पटल पर रखे गए पत्र	22–22
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	23–24
(एक) 143वां प्रतिवेदन	23
(दो) साक्ष्य	23–24

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)
अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)
अजनाला, डा. रतन सिंह (खडूर साहिब)
अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)
अजहरुद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)
अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)
अधिकारी, श्री शिशिर (कांथी)
अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)
अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)
अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)
अब्दुल्ला, डॉ. फारूख (श्रीनगर)
अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)
अर्गल, श्री अशोक (भिंड)
अलागिरी, श्री एम.के. (मदुरै)
अलागिरी, श्री एस. (कुड्डालोर)
अहमद, श्री ई. (मालापुरम)
अहमद, श्री सुल्तान (उलूबेरिया)
अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)
आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)
आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)
आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)
आरुन रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)
आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)
इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)
इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)
इस्लाम, शेख नूरूल (बसीरहाट)
ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)
उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)
उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)
एंटोनी, श्री एन्टो (पथनमथीट्टा)
ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)
ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)
ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)
कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)
कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)
कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड)
कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)
करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)
करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)
कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)
कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)
कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)
कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)
कामत, श्री गुरुदास (मुंबई उत्तर-पश्चिम)
किल्ली, डॉ. क्रुपारानी (श्रीकाकुलम)
कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)
कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)
कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)
कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)
कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)
कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)
कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)
कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)
कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (बंगलौर ग्रामीण)
कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)
कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)
कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)
कृष्टप्प, श्री एन. (हिन्दुपुर)
केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कोडा, श्री मधु (सिंहभूम)
कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमुर)
कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)
खंडेला, श्री महादेव सिंह (सीकर)
खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील (नांदेड़)
खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)
खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)
खान, श्री हसन (लद्दाख)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)
खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद)
गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)
गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)
गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)
गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)
गांधी, श्री राहुल (अमेठी)
गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)
गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)
गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)
गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई दक्षिण-मध्य)
गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)
गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)
गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)
गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)
गोहैन, श्री राजेन (नोगोंग)
गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)
गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (उदूपी चिकमगलूर)
गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)
घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)
धुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)
चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)
चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)
चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)
चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)
चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)
चौधरी, श्री अधीर (बहरामपुर)
चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)
चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)
चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)
चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)
चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)
चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)
चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)
चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)
चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)
चौहान, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)
चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)
चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)
चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)
जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)
जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)
जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)
जेयदुरई, श्री एस.आर. (थूथुकुडी)
जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)
जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)
जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)
जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)
जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)
जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)
जाधव, श्री बलीराम (पालघर)
जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)
जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)
जावले, श्री हरिभाऊ (रावेर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरूक्षेत्र)
जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)
जूदेव, श्री दिलीप सिंह (बिलासपुर)
जेना, श्री मोहन (जाजपुर)
जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)
जैन, श्री प्रदीप (झांसी)
जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)
जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)
जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)
जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड)
जोशी, श्री महेश (जयपुर)
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)
टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)
टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)
टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)
टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)
टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धनगर)
टोप्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)
ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर, हि.प्र.)
ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)
डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)
डे, डॉ. रत्ना (हुगली)
डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)
डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)
डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)
तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)
तंवर, श्री अशोक (सिरसा)
श्री तकाम संजय (अरुणाचल पश्चिम)
तरई, श्री बिभु प्रसाद (जगतसिंहपुर)
तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)
ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)
तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)
तिरूमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)
तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)
तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)
तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)
त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)
थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)
थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)
थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)
थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)
दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-मध्य)
दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)
दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)
दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)
दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)
दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)
दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)
दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)
दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)
देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)
देवरा, श्री मिलंद (मुंबई-दक्षिण)
देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)
देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)
देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)
देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)
धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)
धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)
धोत्रे, श्री संजय (अकोला)
ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)
नकवी, श्री जफर अली (खीरी)
नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)
नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)
नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)
नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा (बनगांव)
नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)
नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)
नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)
नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतमबुद्ध नगर)
नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)
नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)

नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)
निरूपम, श्री संजय (मुंबई-उत्तर)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)
नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बलूर)
पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)
पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)
पटेल, श्री आर.के. सिंह (बांदा)
पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड)
पटेल, श्री दिनशा (खेडा)
पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)
पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)
पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)
पटेल, श्री प्रफुल (भन्डारा गोंदिया)
पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)
पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)
पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (महेसाणा)
परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)
पलानीमनिकम, श्री एस.एस. (तंजावूर)
पवार, श्री शरद (माधा)
पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)
पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)
पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)
पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)
पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)
पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)
पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)
पाटील, श्री संजय दिना (मुंबई उत्तर पूर्व)
पाटिल, श्री सी.आर. (नवसारी)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)
पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)
पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)
पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)
पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)
पायलट, श्री सचिन (अजमेर)
पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)
पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)
पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)
पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)
पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)
पॉल, श्री तापस (कृष्णानगर)
पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)
प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)
प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)
प्रधान, श्री नित्यानंद (अस्का)
प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)
प्रेमदास, श्री (इटावा)
बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)
बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)
बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)
बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)
बनर्जी, कुमारी ममता (कोलकाता दक्षिण)
बनर्जी, श्री अम्बिका (हावड़ा)
बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)
बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)
बलराम, श्री पी. (महबूबाबाद)
बलीराम, डॉ. (लालगंज)
बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी. (पोन्नानी)
बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)
बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)
बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)
बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)
बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरदासपुर)
बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)
बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)
बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

'बाबा', श्री के.सी. सिंह (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)
बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरूम्बुदूर)
बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)
बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)
बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)
बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)
बिजू, श्री पी.के. (अलथूर)
बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)
बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)
बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)
बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)
बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)
भगत, श्री सुदर्शन (लौहरदगा)
भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
भजन लाल, श्री (हिसार)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भुजबल, श्री समीर (नासिक)
भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)
भैया, श्री शिवराज (दमोह)
भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)
भोई, श्री संजय (बारगढ़)
मंडल, डॉ. तरुण (जयनगर)
मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)
मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार (बलूरघाट)
मणि, श्री जोस.के. (कोट्टयम)
मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)
मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)
मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)
मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)
महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)
महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)
महतो, श्री नरहरि (पुरुलिया)
महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकिनगर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महापात्र, श्री सिद्धांत (बरहामपुर)
महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)
माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)
माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)
मांझी, श्री हरि (गया)
मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)
मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)
मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)
मिर्धा, डा. ज्योति (नागौर)
मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)
मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)
मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)
मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)
मीणा, श्री नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)
मीणा, श्री रघुवीर सिंह (उदयपुर)
मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)
मुंडा, श्री अर्जुन (जमशेदपुर)
मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)
मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)
मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)
मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)
मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)
मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)
मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)
मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)
यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)
यादव, श्री अरुण (खंडवा)
यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)
यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)
यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)
यादव, श्री मधुसूदन (राजनंदगांव)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)
यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)
यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)
रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)
राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)
राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)
राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)
राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)
राजा, श्री ए. (नीलगिरि)
राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)
राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)
राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नै दक्षिण)
राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)
राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री रमेश (आदिलाबाद)
राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)
राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)
राणा, श्री राजेन्द्रसिंह (भावनगर)
राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग)
रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)
राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)
रामकिशुन, श्री (चन्दौली)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)
रामशंकर, प्रो. (आगरा)
रामासुब्बू, श्री एस. (तिरुनेलवेली)
राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)
राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच बिहार)
राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)
राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुडी)
राय, श्री रूद्रमाधव (कंधमाल)
राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
राय, प्रो. सौगत (दमदम)
राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)
राव, श्री के. नारायण (मछलीपट्टनम)
राव, डॉ. के.एस. (एलूरू)
राव, श्री के. चन्द्रशेखर (महबूबनगर)
राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)
राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)
रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)
रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)
रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)
रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी (अनंतपुर)
रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)
रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)
रेड्डी, श्री के.आर.जी. (भोंगीर)
रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)
रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री वाई.एस. जगनमोहन (कडापा)
लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)
लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)
लाल, श्री पकौड़ी (राबर्ट्सगंज)
लालू प्रसाद, श्री (सारण)
लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)
वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)
वर्मा, श्री सज्जन (देवास)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)
वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)
वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)
वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)

वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)
विजय शान्ति, श्रीमती एम. (मेडक)
विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)
विवेकानंद, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)
विश्वनाथ श्री अदगुरू एच. (मैसूर)
विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)
विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)
वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुन्दरी)
वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)
वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)
वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)
व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)
तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल (संत कबीर नगर)
शर्मा, डा. अरविंद कुमार (करनाल)
शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)
शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)
शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)
शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)
शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामूला)
शिंदे, श्री सुशीलकुमार (शोलापुर)
शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुरम)
शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)
शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)
शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)
शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)
शेखर, श्री नीरज (बलिया)
शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)
शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)
संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)
सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)
सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)
सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्काजगिरि)
सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)
सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)
सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलालगंज)
सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)
साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)
साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)
सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)
साहा, डॉ. अनूप कुमार (बर्धमान उत्तर)
साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)
सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह (संगरूर)
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)
सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)
सिंह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर)
सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)
सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)
सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)
सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)
सिंह, श्री अजित (बागपत)
सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)
सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)
सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)
सिंह, श्री उमाशंकर (महाराजगंज, बिहार)
सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)
सिंह, श्री कल्याण (एटा)
सिंह, श्री गणेश (सतना)
सिंह, श्री गोपाल (राजसमंद)
सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)
सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)
सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)
सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)
सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)
सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)
सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)
सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)
सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)
सिंह, डॉ. भोला (नवादा)
सिंह, श्री महाबली (काराकाट)
सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)
सिंह, श्री यशवीर (नगीना)
सिंह, श्री रतन (भरतपुर)
सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)
सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)
सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)
सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)
सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)
सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)
सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उ.प्र.)
सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)
सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)
सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)
सिंह, श्रीमती मीना (आरा)
सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)
सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)
सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग)
सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)
सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)
सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)
सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)
सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)
सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)
सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)
सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)
सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)
सुशांत, डॉ. राजन (कांगड़ा)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)
सैलजा, कुमारी (अम्बाला)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)
सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)
सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)
सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)
स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)
स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांड्या)
हक, श्री मोहम्मद असरारूल (किशनगंज)
हक, शेख सैदूल (बर्धमान-दुर्गापुर)
हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)
हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)
हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)
हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)
हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)
हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)
हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)
हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)
हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)
हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधान मंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं; जैसे: (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; (2) योजना मंत्रालय; (3) परमाणु ऊर्जा विभाग; (4) अंतरिक्ष विभाग; और (5) संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	वित्त मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	गृह मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
श्री एस.एम. कृष्णा	विदेश मंत्री
श्री वीरभद्र सिंह	इस्पात मंत्री
श्री विलासराव देशमुख	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशीलकुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	विधि और न्याय मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री कमल नाथ	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री दयानिधि मारन	वस्त्र मंत्री
श्री ए. राजा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	सूचना और प्रसारण मंत्री

श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री बी.के. हान्डिक	खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
डॉ. एम.एस. गिल	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री
श्री मुकुल वासनिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री कांति लाल भूरिया	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री एम.के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री श्रीकांत जेना	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. अहमद	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमो नारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लमराजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सौगत राय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. साईं प्रताप	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गुरुदास कामत	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरीश रावत	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थॉमस	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री महादेव सिंह खंडेला	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनेश त्रिवेदी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री शिशिर अधिकारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुल्तान अहमद	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुकुल राय	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चौधरी मोहन जतुआ	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरुण यादव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुंवर आर.पी.एन. सिंह	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. शशी थरूर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विन्सेंट एच. पाला	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुमारी अगाथा संगमा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

खंड 7 अंक 1 **पंद्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र का पहला दिन**

लोक सभा

सोमवार, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.25 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

अपराह्न 12.26 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: महासचिव राष्ट्रपति अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

महासचिव: मैं 22 फरवरी, 2010 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

[हिन्दी]

**माननीय सदस्यगण, इस नए दशक में, संसद के दोनों सदनों के पहले सत्र के लिए आज आप यहां उपस्थित हुए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूं। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य, अपने देश को समृद्धि की ओर ले जाने और विश्व समुदाय में इसे उचित स्थान दिलाने के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे और इस दशक को गौरवशाली दशक बनाऐंगे। आगे आपको बहुत अधिक विधायी कार्य करने हैं, इनके लिए आपका पूर्ण ध्यान अपेक्षित है।

मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने हाल ही में पुणे में हुए आतंकवादी हमले में अपने प्रियजन खो दिए हैं। वामपंथी अतिवादियों की विवेकहीन हिंसा जारी है जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुए हाल ही के हमलों से स्पष्ट होता है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस प्रकार के कायरतापूर्ण कार्य ऐसी हिंसा की चुनौतियों का और अधिक ताकत के साथ सामना करने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ करते हैं। मेरी सरकार ने वामपंथी अतिवादियों से हिंसा का मार्ग छोड़कर बातचीत के लिए आने को कहा है। नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने और सभी को सर्वांगीण विकास के लाभ पहुंचाने की हमारी योजना पक्के इरादे के साथ जारी रहेगी।

मेरी सरकार को बहुलवाद और पंथनिरपेक्षता के मूल्यों को संरक्षित व मजबूत करने और सभी के लिए न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जनादेश मिला है। मई, 2009 में कार्यग्रहण करने के समय से ही मेरी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर अधिक तीव्र एवं सर्वांगीण विकास के वायदे को पूरा करने के लिए एकचित होकर कार्य किया है। हमारे इस वायदे का केंद्र बिंदु आम आदमी था और है। वैश्विक महामंदी के बाद, अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट के दुष्प्रभावों और वर्ष 2009 के मध्य में देश के अधिकांश भागों में मानसून की विफलता से उपजे संकट, से आम आदमी को बचाना जरूरी था।

मेरी सरकार ने मौजूदा आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सजग एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती बनाने संबंधी उपाय किए हैं। सरकार ने भिन्न-भिन्न राजनीतिक व क्षेत्रीय मांगों का समाधान ढूंढ़ने और अपनी संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निष्ठा से कार्य किया है। विश्व समुदाय से संबंध बनाने की पहल में अपने सुविचारित राष्ट्रीय हितों को मजबूती से आगे बढ़ाया है। शासन की संस्थाओं एवं नागरिक समाज के बीच की भागीदारी में संवेदनशीलता लाई गई है।

अपनी अर्थव्यवस्था को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन देने की सुदृढ़ नीतियों के जरिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की सामना किया गया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। आर्थिक विकास की दर, जो वर्ष 2008-09 में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई थी, वर्ष 2009-10 में बढ़कर करीब 7.5 प्रतिशत होने की संभावना है जिस समय औद्योगिकृत देशों में विकास दर नकारात्मक रही, भारत की विकास दर प्रभावी गति से बढ़ती रही।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1689/15/10

** भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने केन्द्रीय कक्ष में हिन्दी में अभिभाषण दिया। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद हमीद अंसारी ने अभिभाषण का अंग्रेजी पाठ पढ़ा।

अप्रत्याशित और भयंकर सूखे के कारण वर्ष 2009 में अर्थव्यवस्था के प्रबंध में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस गंभीर प्रतिकूल स्थिति के प्रभाव को न्यूनतम रखने में किसानों की मदद करने के लिए, मेरी सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया। सूखा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि से अब तक चार हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि आबंटित की जा चुकी है। डीजल सब्सिडी स्कीम शुरू की गई। सरकार ने कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए, केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों, जैसे-'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' और 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' की निधियों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है ताकि फसल विशेष के अनुसार कार्यनीति बनाई जा सके और सूखे के कारण कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके । 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' में संशोधन किया गया ताकि छोटे व सीमांत किसानों के खेतों में भी जल संरक्षण का कार्य किया जा सके। इन प्रयासों के कारण खाद्यान्न के उत्पादन की गिरावट को काफी हद तक रोका जा सका। रबी की पैदावार प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं, फिर भी खाद्यान्नों और खाद्य उत्पादों की कीमतों पर दबाव रहा है। घरेलू उत्पादन में कमी और विश्व स्तर पर चावल, दालों तथा खाद्य तेल बढ़े हुए मूल्यों के कारण, कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य थी। यह मूल्य वृद्धि सर्वांगीण विकास की हमारी स्कीमों के कार्यान्वयन का भी कुछ हद तक प्रतिबिंबन है, जिनके तहत किसानों को खरीद कीमतों का अधिक भुगतान किया गया तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा अधिक खर्च किया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि हुई।

बढ़ती खाद्य कीमतों से, आम आदमी को राहत देने के कार्य को मेरी सरकार लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। खाद्यान्नों की खरीद कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बावजूद, सार्वजनिक वितरण के प्रयोजन से केंद्र द्वारा निर्धारित कीमतें वर्ष 2002 से अपरिवर्तित रखी गई हैं। अनिवार्य वस्तुओं के लिए आयात व्यवस्था को उदार बनाया गया है। सरकार ने अगले दो महीनों में खुले बाजार में तीस लाख टन गेहूं व चावल लाने और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एंव राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और उनकरी संबद्ध सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 5 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन चावल जारी करने का निर्णय किया है, ताकि खुदरा स्तर पर उपभोक्ता को राहत मिल सके। सरकार ने कार्डधारकों को जनवरी और फरवरी, 2010 के दौरान वितरित किए जाने के लिए छत्तीस लाख टन गेहूं व चावल की अतिरिक्त मात्रा जारी की है। यह मात्रा कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सामान्य मात्रा के अतिरिक्त होगी। खाद्य तेलों और दालों पर सब्सिडी देने की स्कीम जारी रखी गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरी रोककर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में न आने वाली खाद्य वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद करने के लिए राज्य एजेंसियों जैसे-नागरिक आपूर्ति निगमों का सही उपयोग करके राज्य स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करें। गेहूं और रिफाइंड चीनी के आयात को और उदार बना दिया गया है। चीनी की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और समन्वित कार्यनीति बनाने के लिए हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा खाद्य व आपूर्ति मंत्रियों की बैठक आयोजित की। विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कोर ग्रुप गठित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री शामिल है।

माननीय सदस्यो,

हम अपनी खाद्य सुरक्षा को दीर्घ अवधि के लिए तभी सुनिश्चित कर पाएंगे जब हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार को नियंत्रित करने की नीतियों में भी व्यापक सुधार करेंगे मेरी सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के प्रति कृतसंकल्प है।

वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी विकास-दर में और सुधार करने की दिशा में अब हम दृढ़ता से अग्रसर हो रहे हैं। मेरी सरकार वर्ष 2010-11 में 8 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का लक्ष्य रखेगी और वर्ष 2011-12 में 9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का प्रयास करेगी। बुनियादी ढांचागत विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम अधिक बल देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह विकास प्रक्रिया समाज के कमजोर वर्गों के सरोकारों और कल्याण के प्रति पर्याप्त रूप से अनुकूल हो। हम ऐसा वातावरण तैयार करने की दिशा में कार्य करेंगे जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ सभी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिले।

मेरी सरकार ने देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई नए उपाय किए हैं ताकि आतंकवाद की भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे समर्थ बनाया जा सके। राज्य व जिला पुलिस मशीनरी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को सक्रिय बनाना, किसी संभावित आतंकी हमले से तेजी व कारगर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के चार केंद्रों की स्थापना करना, आसूचना ब्यूरो के कर्मियों की संख्या बढ़ाना, आसूचना ब्यूरो में मल्टी एजेंसी सेंटर को सुदृढ़ करना ताकि वह चौबीसों घंटे कार्य कर सके और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना इन उपायों में शामिल है।

आतंकवाद की सभी प्रकार की चुनौतियों के प्रति सरकार पूरी तरह सजग रहती है। आतंकवादी गतिविधियों को बिलकुल भी बर्दाश्त न करना हमारी सैद्धांतिक नीति रही है। हमें लगातार निगरानी रखनी होगी और विश्वव्यापी आतंकी समूहों से निपटने के लिए नए-नए उपाय खोजने होंगे।

वर्ष 2009 के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ गई है। इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, यद्यपि वामपंथी अतिवाद विशेष चिंता का कारण बना हुआ है।

राष्ट्र को अपने सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। हमारे ये सशस्त्र बल देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में खरे उतरे हैं। सरकार सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने सशस्त्र बलों को अपेक्षित अस्त्र-शस्त्रों, उपकरणों एवं प्लेटफार्मों से सुसज्जित करने के लिए हम आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। अग्नि-3 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं का शानदार उदाहरण है और वे इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हैं। भारतीय सेना को मुख्य युद्धक टैंक, 'अर्जुन' सौंपने से प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा मिली है।

मेरी सरकार सैनिकों और पूर्व-सैनिकों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प है। सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों एवं विवादों और अन्य अपीलों के निपटान के लिए 'सशस्त्र बल अधिकरण' का गठन किया गया है। अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पेंशनरी लाभों में पर्याप्त सुधार करने के लिए सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि अब समय आ गया है जब हम यह सुनिश्चित करने पर जोर दें कि शासन प्रक्रियाएं संवेदनशील हो, प्रशासनिक साधन अधिक कारगर हों और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। सुशासन के सिद्धांतों के प्रति हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसी से सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की 'भारत निर्माण' और स्कीमों के तहत ग्रामीण एवं शहरी पुनर्निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम' के कार्यान्वयन में गति आई है। वर्ष 2009-10 के दौरान, अब तक, 4.33 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 203 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। इस स्कीम से कमजोर वर्गों को लाभ मिला है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की भागीदारी 52 प्रतिशत और महिलाओं की भागीदारी 49 प्रतिशत रही, जो उत्साहवर्धक है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप ग्रामीण मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी हुई है।

मेरी सरकार भारत निर्माण के शेष कार्यों को दूसरे चरण में पूरा करने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है।

ग्रामीण आवास योजना घटक के अंतर्गत, वर्ष 2009-10 के दौरान, पिछले दिसंबर तक 14 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ग्रामीण सड़क योजना घटक के अंतर्गत, नवंबर, 2009 तक 96 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण करके, लगभग 34 हजार गांवों को जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण जल-आपूर्ति योजना घटक के अंतर्गत, वर्ष 2009-10 में 627 में से 586 ऐसी बस्तियों को जल की आपूर्ति कर दी गई है जिन्हें अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई थी। वर्ष 2009-10 में 1.79 लाख अपेक्षित गुणवत्ता-रहित बस्तियों में से लगभग 35 हजार बस्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सिंचाई योजना घटक के अंतर्गत, जिसकी शुरूआत वर्ष 2005-06 में की गई थी, वर्ष 2011-12 तक एक करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 31.12.2009 तक 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के फलस्वरूप 67 हजार से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 84 लाख परिवारों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। वर्ष 2014 तक 40 प्रतिशत ग्रामीण टेली-डेनसिटी प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं।

हमारे देश के शहरी क्षेत्र जहां एक ओर चुनौती खड़ी करते हैं वहीं अनेक अवसर भी प्रदान करते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2005 में 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' प्रारंभ किया गया। इस मिशन के अंतर्गत, शहरी विकास और शहरी गरीबों के कल्याण के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अनुमोदित की गई है।

हमें शहरी आवास और स्लम क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। सरकार महत्वाकांक्षी 'राजीव आवास योजना' पर कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य ऐसे राज्यों की सहायता करना है जो स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्लम निवासियों के लिए हमारे शहरों के

भीतर ही निश्चित स्थान निर्धारित करना होगा और इन शहरों को स्लम रहित बनाने के लिए वांछित परिवर्तन करने और इनका पुनर्विकास करने का प्रयास किया जाएगा।

सतत एवं सर्वांगीण विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का बहुत महत्व है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर गठित कार्यबल की सिफारिशें शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ऋण प्राप्ति सुविधा में सुधार बुनियादी ढांचे के विकास, जिला उद्योग केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार, उत्पाद विपणन की सुगमता और संस्थागत सुधार इनमें शामिल हैं।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार सीमावर्ती राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की पक्षधर है।

प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत सड़कों, कालेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का कार्य तत्काल आधार पर शुरू किया गया है। सर्दी के महीनों में राज्य को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान की गई।

मेरी सरकार, उत्तर-पूर्व राज्यों में बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों की राजधानियों और इन राज्यों में प्रत्येक जिले को दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत 16 सौ किलोमीटर से अधिक लंबे अरुणाचल राजमार्ग का निर्माण शामिल है। अरुणाचल प्रदेश की सभी सीमावर्ती गांवों को 'होम लाइटिंग सिस्टम' मुहैया कराने के लिए विशेष कार्यक्रम का काफी हद तक कार्यान्वयन हो चुका है।

माननीय सदस्यगण,

हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के वंचित वर्गों को भी सफलता की इस कहानी का हिस्सेदार बनाया जाए।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत, अभी तक लगभग 7 लाख अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। शेष दावों का यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे।

सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। वर्ष 2008-09 में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए ऋणों में 82 हजार करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के 12 प्रतिशत से अधिक है। केंद्र सरकार में रिक्त पदों पर अल्पसंख्यकों की भर्ती में बढ़ोतरी हुई है और नई भर्तियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो वर्ष 2006-07 में 7 प्रतिशत था, बढ़कर वह 2008-09 में 9 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरूआत बहुत अच्छी रही है। वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई तीन छात्रवृत्ति स्कीमों को जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 15 लाख तक पहुंच गई है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में बालिकाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

मेरी सरकार संसद के इस सत्र में वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश करेगी।

हमारी एकता और सामाजिक सौहार्द ही, आतंकवादियों और उनकी विघटनकारी योजनाओं का सही जवाब है। इसीलिए हमारी सरकार अपने सामाजिक ताने-बाने की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी प्रयोजन से, हम संसद के इस सत्र के दौरान 'सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005' को शीघ्र पारित करवाने का प्रयास करेंगे।

मेरी सरकार मई, 2008 में राज्यसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित करवाने के लिए वचनबद्ध है। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप सब इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव की ओर विशेष ध्यान दें।

पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से, संविधान में संशोधन करने के लिए दो विधेयक पहले ही पेश किए जा चुके हैं। आशा है कि इस सत्र में इन्हें पारित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत 25 से 35 वर्ष के युवा वर्ग को राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों में दो वर्ष तक सेवा करने योग्य बनाया जाएगा। पहले चरण में बीस हजार स्वयंसेवकों को लगाया जाएगा और जम्मू-कश्मीर में डल झील की सफाई करने जैसे विभिन्न रचनात्मक सामाजिक कार्यों में उनकी सेवाएं ली जाएंगी।

माननीय सदस्यगण,

सभी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए शिक्षा में निवेश करना आवश्यक है। सरकार ने 'सर्वशिक्षा अभियान' एवं 'मध्याह्न भोजन

कार्यक्रम' के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में भारी निवेश किया है और नए 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वजनीकरण करने की दिशा में प्रयास कर रही है। 'बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' अधिसूचित किया जा चुका है जो पहली अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में 373 आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक स्कीम अनुमोदित कर दी गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से 'राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' की स्थापना की गई है जिससे देश के लगभग 18 हजार महाविद्यालयों और 400 विश्वविद्यालयों को ब्रॉडबैंक इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों द्वारा लिए जाने वाले शैक्षिक ऋणों के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी स्कीम शुरू की गई है। 'साक्षर भारत' नाम से एक नया अभियान चलाया गया है जिसमें महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार शैक्षिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह शैक्षिक ढांचा विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के तीन स्तंभों पर आधारित होगा। भारत में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की नियामक संस्था के रूप में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद' की शीघ्र स्थापना की जाएगी जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक होगा। सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके आधार पर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविख्यात और उत्कृष्ट अकादमिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए विदेशों से शिक्षा प्रदाताओं को लाया जा सके।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास में कम से कम 10 प्रतिशत इक्विटी के पब्लिक ऑफर के जरिए आम आदमी को भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने लाभकारी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन' शुरू किया गया जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

'ऊर्जा दक्षता वृद्धि मिशन' का अनुमोदन किया जा चुका है और जिसके अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के अंत तक 10 हजार मेगावाट बिजली की बचत होने की आशा है।

पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित सिविल मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009' (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल, 2009) पेश किया गया है।

हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह तेल और गैस पर आश्रित है। लगभग एक दशक तक उत्पादन में गतिरोध बने रहने के बाद, वर्ष 2009-10 में 20 नए तेल क्षेत्रों की खोज होने से तेल उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

मेरी सरकार, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों को आम आदमी तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना' नाम से गांवों में एलपीजी वितरण की एक नई योजना आरंभ की गई है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार वर्ष 2012 तक 'घर-घर बिजली' पहुंचाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के विशेष प्रयास किए गए हैं। फलस्वरूप, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दसवीं योजना में शामिल क्षमता से तीन गुना अधिक क्षमता वृद्धि की संभावना है।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों को तीव्र गति से करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 20 किलोमीटर के निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा है। कई नीतिगत पहलें की गई हैं ताकि एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में नई गति आई है।

नागर विमानन क्षेत्र भी इस विश्व मंदी से अप्रभावित नहीं रह सका। विशेषकर हमारी राष्ट्रीय विमान सेवा, 'एयर इंडिया' तो बुरी तरह प्रभावित हुई। मंत्री समूह के सजग मार्गदर्शन में इसके यथाशीघ्र पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं।

विमानपत्तनों, विशेषकर चार महानगरीय विमानपत्तनों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। दिल्ली विमानपत्तन परियोजना जुलाई, 2010 तक अर्थात राष्ट्र मंडल खेलों से काफी पहले ही पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी। विमानपत्तन के क्षेत्र में नियामक कार्यों के निष्पादन के लिए 'विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण' की स्थापना की गई है।

मेरी सरकार, 'राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम' चला रही है जिसके अंतर्गत पत्तन और जहाजरानी क्षेत्र में चिह्नित परियोजनाओं पर निजी निवेश सहित एक लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश होगा। 'भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय' ने पूरी तरह से कार्य करना आरंभ कर दिया है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और कोच्चि में इसके कैंपस खोले गए हैं।

भारतीय रेल इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरोती है। मेरी सरकार रेलवे की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने और रेल प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा में सुधार करने के साथ-साथ यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों की गति में वृद्धि करने के प्रति वचनबद्ध है।

संपूर्ण कश्मीर घाटी में 'काजीगुंड से बारामूला' तक रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं जिससे हमारे देश के सभी क्षेत्रों के विकास के प्रति मेरी सरकार की वचनबद्धता प्रदर्शित होती है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की 9 मुख्य राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित वित्त-पोषण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक विशेष 'उत्तर-पूर्व रेल विकास निधि' का सृजन किया गया है।

भारतीय रेलवे ने पूर्वी और पश्चिमी मुख्य मार्गों पर महत्वाकांक्षी 'डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर' भी शुरू किया है। इस परियोजना से भारत के विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

हमारी सरकार ने जापान सरकार के साथ साझेदारी में एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'दिल्ली-मुंबई औद्योगिकी कॉरीडोर' के क्रियान्वयन में प्रगति की है। यह चुनौतीपूर्ण पहल पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचा, कारगर परिवहन, विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति तथा प्रभावी लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराकर छह राज्यों में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगी।

मेरी सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक संचार सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु 'विश्व सेवा दायित्व निधि' से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने देश भर के दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में 10 हजार टावर स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्ष 2012 तक 60 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन के लक्ष्य में से अब तक 57 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से अकेले दिसम्बर, 2009 में ही लगभग दो करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं, जो अभूतपूर्व वृद्धि कही जा सकती है।

'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' के तत्वावधान में 'मिशन निर्मल गंगा' यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2020 तक किसी भी शहरी नाले और औद्योगिक बहि:स्राव को शोधन किए बिना गंगा में नहीं बहने दिया जाएगा। गंगा की 'निर्मल धारा' और 'अविरल धारा' को सुनिश्चित करने के इस कार्य में केंद्र और संबंधित राज्यों के संगठित और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

माननीय सदस्यगण,

हम जिस समावेशी समाज की आकांक्षा करते हैं, उसमें निष्पक्ष न्यायप्रणाली तक जनता की पहुंच और भरोसा होना आवश्यक है। सरकार ने 'राष्ट्रीय न्याय एवं विधिक सुधार मिशन' बनाने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य सरकार को एक जिम्मेदार एवं सजग पक्षकार बनाना, न्यायिक प्रबंधन की शुरुआत करना, न्यायालय प्रशासन और केस प्रबंधन में सुधार करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा लंबित मुकदमों की संख्या को कम करना है।

'सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य' अभी भी हमारे लिए एक राष्ट्रीय चुनौती बना हुआ है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के जरिए जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को क्रियाशील किया गया है। इसके लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए है जिनमें कम चिकित्सा सुविधा वाले क्षेत्रों में मेडिकल, नर्सिंग और पैराचिकित्सा संस्थानों की स्थापना, विशेषज्ञों और सुपर-विशेषज्ञों के लिए अतिरिक्त सीटों का सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करना शामिल हैं। प्रारंभिक आंकड़े, इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करते हैं।

मेरी सरकार ने इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1 नामक विश्वव्यापी महामारी से निपटने के लिए तत्परता से कार्य किया। देश में आने वाले एक करोड़ से भी अधिक यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जांच की गई। एच1एन1 परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, राज्यों को औषधियों की दो करोड़ खुराक नि: शुल्क वितरित की गई और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 15 लाख टीकों का आयात किया गया। देश में पहली बार इन्फ्लूएंजा ए एच1एन1 की टीका विकसित किया जा रहा है जो इस वर्ष उपलब्ध हो जाएगा।

मेरी सरकार ने भारत से बाहर जमा काले धन का पता लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 'आयकर अधिनियम, 1961' में संशोधन करना शामिल है जिससे केंद्र सरकार गैरसंप्रभुता वाले क्षेत्रों के साथ कर संबंधी समझौते कर सके। बड़े क्षेत्रों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए करार करने के उद्देश्य से वार्ता शुरू करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। स्विटजरलैंड के साथ कर-संधि के लिए पुनर्वार्ता चल रही है। भारत कर संबंधी सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने तथा कर चोरी की सुविधा देने वाले क्षेत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।

समाचार और मनोरंजन के साधन सभी के लिए वहनीय तथा सर्वसुलभ होने चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हैडएंड इन द स्काई सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश अधिसूचित करने के अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के डिजिटलीकरण पर विचार किया जा रहा है। पहली बार दूरदर्शन राष्ट्रमंडल खेल-2010

का 'हाई डेफीनिशन फार्मेट' के साथ प्रसारण करेगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय फिल्मों तथा संगीत रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और हमारे कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

भारत के सभी नागरिकों को बायोमीट्रिक प्रणाली के आधार पर विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' स्थापित किया गया है। सरकार के प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों और जनसेवाओं के लक्ष्यों एवं डिलीवरी को खासकर गरीबों तथा अलग-थलग पड़े लोगों तक पहुंचाने में यह बृहत् एवं अभूतपूर्व कार्यक्रम कारगर सिद्ध होगा। विशिष्ट पहचान संख्याओं का पहला सेट वर्ष 2011 के पूर्वार्द्ध में जारी होने की संभावना है।

कुछ चुने हुए अग्रणी कार्यक्रमों और अन्य कार्यों की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक 'डिलीवरी मानीटरिंग यूनिट' (डीएमयू) की स्थापना की गई है। इस यूनिट की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराने के लिए संबंधित नोडल मंत्रालयों ने अपनी-अपनी वेबसाइटों पर तिमाही डीएमयू रिपोर्टें प्रदर्शित करनी शुरू कर दी हैं।

सरकार, अपने लिए और उद्योग, उद्यमियों, प्रौद्योगिकीविदों और शिक्षाविदों के लिए एक नवाचार कार्यनीति बनाने के लिए वचनबद्ध है जिसमें विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में नए बदलाव लाने के लिए आवश्यक सर्वांगीण विकास और उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

देश अक्टूबर, 2010 में 19वें प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। खेलों का सुचारू और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

हमने वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाई है और अपने देश तथा देश के बाहर के क्षेत्रों में शांति, स्थायित्व और प्रगति के लिए भी कार्य किया है। सरकार, विश्व के साथ हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित अपनी सक्रिय सहभागिता निभाती रहेगी और इसका उद्देश्य परस्पर निर्भर विश्व में त्वरित एवं सर्वांगीण आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन के हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाना होगा।

भूटान के राजा एवं प्रधानमंत्री, बंगलादेश की प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति और नेपाल के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की भारत यात्राओं ने पड़ोसी देशों के साथ हमारी मित्रता और पारंपरिक संबंधों को नए आयाम दिए हैं। श्रीलंका में हुए चुनावों के बाद, अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए हम वहां की सरकार के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। भारत, संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में तमिल अल्पसंख्यकों के लिए मानवीय एवं पुनर्वास प्रयासों तथा दीर्घकालिक पुनर्निर्माण कार्यों में योगदान करेगा। अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के प्रयासों में भारत ने सहयोग के कई महत्वपूर्ण सोपान तय किए हैं और हम अफगानिस्तान के विकास प्रयासों में उनके साथ साझेदारी करते रहेंगे। यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खतरे को गंभीरता से ले और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए तो भारत पाकिस्तान के साथ भी सार्थक संबंध तलाशने के लिए तैयार है।

बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा ने भारत-अमेरिकी साझेदारी के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर और आगे विस्तार की नींव तैयार कर दी है। मेरी और प्रधानमंत्री की रूस यात्राओं ने समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मित्रता को फिर से ताजा किया है तथा सहयोग के नए द्वार खोले हैं। नई दिल्ली में हुई दसवीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर वार्ता यूरोप के साथ विस्तार पाती हमारी साझेदारी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। चीन के साथ हमारी नीतिगत और सहकारी साझेदारी उत्तरोत्तर, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा ने सभी क्षेत्रों में हमारे सहयोग की गति को तीव्रतर बनाने की हमारी पारस्परिक इच्छा को प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री ने 'ब्रिक' देशों की पहली शिखर वार्ता में भाग लिया।

मेरी सरकार ने 'लुक ईस्ट' नीति का पूरे उत्साह के साथ अनुसरण किया है। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि थे। सरकार ने मंगोलिया के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया एवं मलेशिया के प्रधानमंत्रियों की मेजबानी की। भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर तथा भारत-आसियान ढांचे एवं पूर्व एशिया शिखर वार्ता प्रक्रिया के भीतर कई नई पहलों की शुरूआत, हमारे देश को एशिया-प्रशांत क्षेत्रों से जोड़ेगी।

ताजिकिस्तान की मेरी यात्रा तथा शंघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री की पहली बार उपस्थिति, मध्य एशिया के साथ मित्रता और आपसी समझ के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने की सरकार की नीति को दर्शाती है। तुर्की के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से तुर्की के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं।

मिस्र में गुटनिरपेक्ष शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री की शिरकत ने विकासशील देशों के साथ हमारे संबंधों को और सुदृढ़ किया है। खाड़ी और पश्चिम एशिया के देशों पर हम विशेष ध्यान देते रहेंगे।

फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा के दौरान फिलिस्तीनी हितों के लिए भारत ने अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया है। नामीबिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और हमारे उपराष्ट्रपति की बोत्स्वाना, मालावी और जांबिया की यात्रा से अफ्रीकी महाद्वीप के साथ हमारे संबंध और गहरे हुए हैं। हम लैटिन अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते सहयोग को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

आतंकवाद, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के संबंध में भारत का दृष्टिकोण उपयुक्त मंचों पर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता रहा है। वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में शीर्ष पर रखा गया। ग्रुप-20 प्रक्रिया, ग्रुप-8 एवं ग्रुप-5 शिखर वार्ता और कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत की आवाज पूरे सम्मान के साथ सुनी गई।

हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि प्रवासी भारतीय समुदाय ने विश्व स्तर पर जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और इसके लिए उन्हें पर्याप्त सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 'प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय वैश्विक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक इस वर्ष हुई। अगले नियमित आम चुनावों के समय तक सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदान के अवसर प्रदान करने के लिए कार्य करेगी। भारतवंशियों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति हम वचनबद्ध हैं। इस उद्देश्य से 'भारतीय समुदाय कल्याण निधि' स्थापित की गई है।

देश के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी विस्तार के एक घटक के रूप में अतिरिक्त 'दाबानुकूलित भारी जल रिऐक्टरों' के निर्माण और 'हल्के जल रिऐक्टर' स्थापित करने के लिए स्थलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिविल नाभिकीय सहयोग के शुरू हो जाने के फलस्वरूप आयातित ईंधन उपलब्ध हो जाने से, 'राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना' की दो इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है और आशा है कि एक और इकाई शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी। सिविल नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए रूस, मंगोलिया, नामीबिया, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के साथ नए करार किए गए हैं और कुछ अन्य करारों पर बातचीत चल रही है।

टेली-चिकित्सा, टेली-शिक्षा के क्षेत्रों और ग्राम संसाधन केंद्रों में अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्र को लगातार सामाजिक सेवाएं मुहैया करा रहा है। पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान से ओसियनसैट-2 उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़ा गया। निकट भविष्य में स्वदेशी क्रायोजेनिक युक्त जीएसएलवी-डी3 प्रक्षेपण यान का उड़ान परीक्षण तथा कार्टोसैट-2बी, इनसैट-3डी और रिसोर्ससैट-2 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना है। जीएसएलवी-मार्क 3 प्रक्षेपण यान को और विकसित किया जाएगा तथा चन्द्रयान-2 मिशन से संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

माननीय सदस्यगण,

हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हमारे राष्ट्रनिर्माताओं ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का जो सपना संजोया था, उसे साकार करने के हम इतने करीब कभी नहीं थे जितने आज हैं। इन आकांक्षाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त, 1947 की मध्य-रात्रि को इसी हॉल में इन शब्दों में कहा था:

''भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा, जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञान तथा रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना।''

हमने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, राह लंबी है किन्तु हमारी यात्रा जारी है। तो आइए, पूरे विश्वास के साथ एक नए एवं उज्जवल भविष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े।

जय हिन्द।

अपराह्न 12.27 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने पांच पूर्ववर्ती सहयोगियों श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले, श्री नागेश्वर द्विवेदी, श्री जगपाल सिंह, श्री विरधी चन्दर जैन और श्री रामनिवास मिर्धा के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, श्री जनेश्वर मिश्र बहुत ही सीनियर मैम्बर थे, लेकिन इसमें उनका नाम नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया इस समय व्यवधान मत डालिए। यह बहुत ही सौलम ओकेजन है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले वर्ष 1984 से 1996 तक आठवीं से दसवीं लोक सभा और वर्ष 1998 से 1999 तक बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री काम्बले वर्ष 1980 से 1984 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। इस अवधि के दौरान श्री काम्बले ने वर्ष 1982 में महाराष्ट्र सरकार में उपमंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री काम्बले आठवीं लोक सभा के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। नौवीं लोक सभा के दौरान वह भूतल परिवहन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री काम्बले बारहवीं लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति; रक्षा संबंधी समिति; सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति और श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री काम्बले किसानों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे और अनथक रूप से जनता की सेवा करते रहे। श्री काम्बले ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्ष 1982 के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के चर्म उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले का निधन 58 वर्ष की आयु में 28 दिसम्बर, 2009 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी वर्ष 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री द्विवेदी वर्ष 1952 से 1962 तक दो बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक, श्री द्विवेदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया तथा अनेक बार जेल गए।

एक सुविख्यात सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री द्विवेदी वर्ष 1948 से 1952 तक जौनपुर जिला बोर्ड के सदस्य रहे। वह वर्ष 1963 से 1966 तक उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा वर्ष 1967 से 1970 तक ग्रामोद्योग समिति के भी सदस्य रहे।

एक सच्चे गांधीवादी, श्री द्विवेदी ने समग्र ग्राम सेवा संघ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के प्रसार के लिए कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1937 में श्री केशव लाइब्रेरी की स्थापना की तथा वर्ष 1937 से 1952 तक इसके बंधक के रूप में सेवा की। उन्होंने सुजानगंज में राष्ट्रीय इंटर कालेज की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभायी। उन्होंने बेलवार, जौनपुर में एक कनिष्ठ उच्च विद्यालय, एक उच्च विद्यालय तथा एक इंटर कालेज की भी स्थापना की।

श्री नागेश्वर द्विवेदी का निधन 93 वर्ष की आयु में 1 जनवरी, 2010 को मछलीशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री जगपाल सिंह ने वर्ष 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा और वर्ष 1989 से 1991 तक नौवीं लोक सभा में उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड के हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिंह सातवीं लोक सभा के दौरान विशेषाधिकार समिति और गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। वह नौवीं लोक सभा के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री सिंह व्यवसाय से कृषक थे तथा उन्होंने समाज के निर्धन और सीमान्त वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। वे श्रमिक और भारतीय श्रमिक संघ आन्दोलन के साथ जुड़े रहे। श्री जगपाल सिंह छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे और उनके हितों की खातिर कई बार गिरफ्तार भी हुए।

श्री जगपाल सिंह का निधन 13 जनवरी, 2010 को 62 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री विरधी चन्दर जैन वर्ष 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने राजस्थान और बाड़मेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री जैन वर्ष 1967 से 1980 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री जैन सातवीं लोक सभा के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति तथा संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। आठवीं लोक सभा के दौरान वह सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री जैन व्यवसाय से अधिवक्ता थे तथा उन्होंने समाज के शोषित और दबे-कुचले लोगों के हितों के लिए संघर्ष किया।

उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में दस्यु आतंक का खात्मा करने के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। वह किसानों के हितों की रक्षा के लिए अनथक रूप से जुटे रहे। श्री जैन ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में ''बेगार'' जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने तथा ''बाधोरी'' (नकद किराया) आरंभ करने में अहम भूमिका अदा की।

श्री जैन एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे तथा वह वर्ष 1950 से 1953 तक बाड़मेर नगरपालिका के सदस्य तथा वर्ष 1959 से 1964 तक दो बार बाड़मेर जिला परिषद के प्रमुख रहे। वह दो दशकों से भी अधिक समय तक बाड़मेर जिले में भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रहे।

श्री विरधी चन्दर जैन का निधन 89 वर्ष की आयु में 13 जनवरी, 2010 को बाड़मेर में हुआ।

श्री राम निवास मिर्धा वर्ष 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा और वर्ष 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने राजस्थान के क्रमशः नागौर और बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

वह 1967 से 1984 तक चार बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने राज्य सभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

अपने लगभग साढ़े तीन दशक के दीर्घ और शानदार राजनीतिक जीवन में श्री मिर्धा ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। दसवीं लोक सभा के दौरान वह प्रतिभूति और बैंकिंग संव्यवहार में अनियमितताओं की जांच संबंधी संयुक्त समिति के सभापति रहे।

इससे पूर्व श्री मिर्धा 1953 से 1967 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने 1954 से 1957 तक राजस्थान सरकार में कृषि, सिंचाई और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात् श्री मिर्धा ने राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और वह वर्ष 1957 से 1967 तक इस पद पर बने रहे।

एक कुशल प्रशासक, श्री मिर्धा केन्द्रीय मंत्रिमंडल में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वह जून, 1970 से मार्च, 1971 तक और फिर मार्च से जून, 1986 तक गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; अगस्त, 1970 से अक्तूबर, 1974 तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री; अक्तूबर, 1974 से दिसम्बर, 1975 तक रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री; दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1977 तक आपूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री; जनवरी, 1983 से अगस्त, 1984 तक सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); अगस्त से दिसम्बर, 1984 तक विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; दिसम्बर, 1984 से अक्तूबर, 1986 तक संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); अक्तूबर, 1986 में फरवरी, 1988 तक वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवम्बर, 1987 से फरवरी, 1988 तक जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); फरवरी, 1988 से दिसम्बर, 1989 तक वस्त्र मंत्री और जनवरी से दिसम्बर, 1989 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे।

श्री मिर्धा ने मार्च, 1977 से अप्रैल, 1980 तक राज्य सभा के उपसभापति के पद को सुशोभित किया।

कलाओं के संरक्षक और खेल प्रेमी श्री मिर्धा देश के अनेक सांस्कृतिक और खेल निकायों एवं संस्थाओं से घनिष्ठता से जुड़े थे। वे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष; वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाईटेड नेशन्स एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष तथा यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन हैरिटेज सोसाइटी एवं राजस्थान संस्थान संघ के अध्यक्ष रहे। वे राष्ट्रीय खेल संस्थान और दिल्ली नागरी कला आयोग के अध्यक्ष तथा नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के उपाध्यक्ष तथा महाराज सूरजमल एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे।

श्री मिर्धा ने अनेक देशों की यात्राएं की। वह कनाडा के ओटोवा शहर में सितम्बर, 1977 में तथा न्यूजीलैंड के वैलिंगटन शहर में नवम्बर, 1979 में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। वह वेनेजुएला के शहर कैराकास में सितम्बर, 1979 में आयोजित अंतर-संसदीय संघ सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। उन्होंने सितम्बर, 1984 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

श्री रामनिवास मिर्धा का निधन कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् 85 वर्ष की आयु में 29 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में हुआ।

माननीय सदस्यों, आप सभी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु के दुःखद निधन से अवगत ही हैं।

कुशल प्रशासक, श्री बसु ने देश के सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने का अनूठा गौरव हासिल किया। वह जून, 1977 से नवम्बर, 2000 तक 23 वर्षों से अधिक समय के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए दृढ़तापूर्वक कार्य किया और भूमि सुधार लागू किये। शक्ति के

विकेन्द्रीकरण के दृढ़ समर्थक के रूप में उन्होंने राज्य में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत किया। उन्होंने समाज के कमजोर एवं दलित वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए तत्परतापूर्वक सेवा की।

उनके लम्बे एवं उत्कृष्ट राजनीतिक कैरियर में ज्योति बसु का कार्यकाल एक धायक के रूप में 1946 में शुरू हुआ जब वे बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और 1972 से 1977 की अल्प अवधि को छोड़कर 2001 तक इसके सदस्य बने रहे। उन्होंने 1957 से 1967 के बीच पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी। वह 1967 से 1970 के बीच पश्चिम बंगाल के दो बार उप-मुख्यमंत्री रहे।

भारत में साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी श्री बसु भारतीय मजदूर संघ आन्दोलन के प्रमुख हस्ती थे। वह 1970 में सीटू की स्थापना से ही इसके उपाध्यक्ष थे।

एक बहुआयामी व्यक्तित्व, श्री बसु एक प्रख्याक लेखक भी थे। उन्होंने बंगाली भाषा में कई निबंध लिखे जिन्हें पांच खंडों में संकलित एवं प्रकाशित किया गया। अस्वस्थता के चलते मुख्यमंत्री पद छोड़ने के उपरान्त भी श्री बसु लोगों के कल्याण की कई परियोजनाओं से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनके निधन से देश ने एक महान सपूत, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित व्यक्ति तथा एक सर्वोत्कृष्ट विधायक खो दिया। अपनी प्रशासनिक योग्यता एवं राजनीतिक बुद्धिमता के बल पर उन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक मिनट छाप छोड़ी है। हम सभी लोगों को उनकी कमी खलेगी।

श्री ज्योति बसु का निधन कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् 95 वर्ष की आयु में 17 जनवरी, 2010 को कोलकाता में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

13 फरवरी, 2010 को पुणे शहर में स्थित एक प्रसिद्ध बेकरी में एक बम विस्फोट हुआ और इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में विदेशी नागरिकों सहित 15 लोग मारे गए और 60 व्यक्ति घायल हो गए। 15 फरवरी, 2010 को पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न फ्रंटीयर राईफल्स के सिल्दा शिविर पर हुए एक जघन्य नक्सली हमले में उक्त अर्द्धसैनिक बल के 20 जवान मारे गए। 18 फरवरी, 2010 को नक्सलियों ने एक और बर्बरतापूर्ण हमले में बिहार के जमुई जिले में फुलवारी गांव के लगभग 11 ग्रामीणों की हत्या कर दी।

यह सभा देश में शांति भंग करने और अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से किए गए इन घृणित हमलों की पुरजोर निन्दा करती है। मैं अपनी और इस सभा की ओर से इन हमलों में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी रहेगी।

अपराह्न 12.43 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.44 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री वी. नारायणसामी।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्ग, 23 जनवरी, 2010 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्यांक 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-1690/15/10]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): मैं संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 30 दिसम्बर, 2009 की उद्घोषणा जो 30 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 930(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य के संबंध में 19 जनवरी, 2009 को उनके द्वारा जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा का प्रतिसंग्रहण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-1691/15/10]

अपराह्न 12.45 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) 143वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): महोदया, मैं भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 143वां प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल: अध्यक्ष महोदया, मैं भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2009 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 फरवरी, 2010/4 फाल्गुन, 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।